कार्यालय जिला पंचायत उ. ब. कांकेर (छ.ग.)

zp-kanker.cg@nic.in OfficeTel.No.07868-241282,Fax No.07868-241482

// प्रेस विज्ञप्ति //

क्रमांक/5842/जि.पं/शि.पं.सं./स्था./2018/ कांकेर,दिनांक16/07/2018

छ.ग. शासन स्कूल शिक्षा विभाग मंत्रालय महानदी भवन नया रायपुर के आदेश क्रमांक एफ -12/03/2018/20-दो/2018 नया रायपुर दिनांक 30.06.2018 के द्वारा प्रदेश के शासकीय शालाओं में कार्यरत् शिक्षक (पंचायत/नगरीय निकाय) जिनकी सेवाये 01 जुलाई 2018 को आठ वर्ष या उससे अधिक पूर्ण हो चुकी है का दिनांक 01 जुलाई 2018 से संविलियन करने के निर्देश दिये गये है। जिसके तारत्मय में उपरोक्त संदर्भित आदेश के निर्देश क्रमांक 05 में दिये गये समय सारणी अनुसार आज दिनांक 16.07.2018 को नियोक्ता (संबंधित जिला अथवा नगरीय निकाय) द्वारा वरिष्ठता सूची का प्रारंभिक प्रकाशन एवं दावा आपत्ति आमंत्रित करने के निर्देश दिये गये है। उक्त निर्देशों के परिपालन में खण्ड शिक्षा अधिकारियों से प्राप्त विकासखण्ड की शालाओं में कार्यरत् व्याख्याता पंचायत/शिक्षक पंचायत तथा व्यायाम शिक्षक पंचायत की संवर्ग की वरिष्ठता सूची का प्रारंभिक प्रकाशन किया जाना है।

खण्ड शिक्षा अधिकारियों से प्राप्त सूची का प्रारंभिक प्रकाशन दावा आपत्ति आमंत्रित करने हेतु आज दिनांक 16.07.2018 को जारी किया जा रहा है। जिसमें 20 जुलाई 2018 तक दावा आपत्ति आमंत्रित किये जाते हैं निर्धारित तिथि के बाद प्राप्त दावा आपत्ति अमान्य होंगें।

उपरोक्त सूची में शिक्षक पंचायत संवर्ग के कर्मचारियों से दावा आपत्ति प्राप्त होने पर राज्य शासन के द्वारा दिये गये निर्देशों एवं प्रचलित नियमों के अनुसार संशोधन किया जाना अपेक्षित है। जिले की वेब साईड kanker.gov.in एवं जिला पंचायत कांकेर की वेब साईड ZP-kanker.cg@nic.in में वरिष्ठता सूची अपलोड की गई है।

16.7.18

मुख्य कार्यपालन अधिकारी
जिला पंचायत उ.ब. कांकेर

पृ.क्रमांक/5843/जि.पं/शि.पं.सं./स्था./2018/ कांकेर,दिनांक16/07/2018

प्रतिलिपिः-

01. संचालक, पंचायत संचालनालय, इन्द्रावती भवन मंत्रालय नया रायपुर को सादर सूचनार्थ ।
02. कलेक्टर, जिला उत्तर बस्तर कांकेर की ओर सादर सूचनार्थ ।
03. जिला शिक्षा अधिकारी, जिला उ.ब. कांकेर को सूचनार्थ।
04. जिला जनसम्पर्क अधिकारी , जिला उत्तर बस्तर को सूचनार्थ । उक्त प्रेस विज्ञप्ति दैनिक समाचार पत्रों में निःशुल्क प्रकाशित कराने का कष्ट करेंगें ।
05. सर्व मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत, जिला उ.ब. कांकेर को सूचनार्थ एवं कार्यालयीन सूचना पटल पर प्रकाशित करने हेतु।
06. सर्व खण्ड शिक्षा अधिकारी, जिला उ.ब. कांकेर को सूचनार्थ एवं कार्यालयीन सूचना पटल पर प्रकाशित करने हेतु।
07. जिला सूचना एवं विज्ञान अधिकारी, कार्यालय कलेक्टर, NIC को सूचनार्थ । उपरोक्तानुसार सूची जिला पंचायत के वेबसाईट में तत्काल अपलोड कराने का कष्ट करें
08. D.P.M. जिला पंचायत कांकेर को सूचनार्थ एवं अग्रिम कार्यवाही हेतु । उपरोक्तानुसार सूची जिला पंचायत के वेबसाईट में तत्काल अपलोड कराने का कष्ट करें ।

मुख्य कार्यपालन अधिकारी
जिला पंचायत उ ब कांकेर

Scanned by CamScanner